

कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग जिला धार (म.प्र.)

- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं का मैनुअल
1. कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग के कार्यालय की विशिष्टियां कृत्य और कर्तव्य धारा- 4(ख) (I)

जिला कार्यालय का कार्य विभिन्न लिपिकों में आवंटित होता है और कार्यसुविधा एवं कार्य की प्रकृति को देखते हुए कार्यों का समूह बनाया जाता है। इस एक समूह को शाखा का नाम दिया गया है। जिला कार्यालय में अनेक शाखाएं होती हैं। जिला कार्यालय में नस्तियों के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत



सहायक संचालक मत्स्योद्योग



सहायक मत्स्य अधिकारी



शाखा लिपिक

शाखा लिपिक

1. कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग के कार्यालय की विशिष्टियां कृत्य और कर्तव्य धारा- 4(ख) (II)

क्र.	नाम	पद	कर्तव्य / शक्तियां
1	श्री टी.एस.चौहान	सहायक संचालक मत्स्योद्योग	जिला अधिकारी
2	श्री एस.के. बर्मन	सहायक मत्स्य अधिकारी	तकनीकी, जन सूनवाई, आर.टी.आय.
3	श्री गणेश पिपलोदिया	मत्स्य निरीक्षक	नील क्रान्ति शाखा
4	श्री कच्छेदीलाल सिगरहा	सहा.ग्रेड.- 3	लेखा, स्थापना, शाखा

2. कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग धार में विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें, पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम से सम्मिलित है। धारा- 4(ख) (III)

बिन्दु क्रमांक-02 अनुसार

3. कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग, धार में कृत्यों के निर्वाहन में लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड धारा- 4(ख) (IV)

शासन के निर्देशानुसार

4. कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग, धार द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख धारा- 4(ख) (V)

1. म.प्र. फिशरीज एक्ट 1948 एवं म.प्र. नदीय मत्स्योद्योग नियम सन 1972
2. मत्स्य नीति वर्ष 2008

5. कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग, धार में ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण धारा- 4(ख) (VI)

बिन्दु क्रमांक-02 में उल्लेखित समस्त शाखाओं का अभिलेख

6. कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग, धार में किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेनद के लिए विद्यमान है धारा- 4(ख) (VII)

निरंक

7. कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग, धार में ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भानरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण धारा- 4(ख) (VIII)

निरंक

8. कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग, धार के अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका धारा- 4(ख) (IX)

बिन्दु क्रमांक-02 अनुसार

9. कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग, धार के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी, द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हो धारा- 4(ख) (X)

मध्य प्रदेश शासन के अन्तर्गत वेतन सुविधाएं इत्यादि पात्रतानुसार देय है।

10. कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग, धार में उन सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां, उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण की आवंटित बजट धारा- 4(ख) (XI)

कर्मचारियों के वेतन भत्तों का आवंटन प्राप्त होता है।

11. कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग, धार में सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है धारा- 4(ख) (XII)

निरंक

12. कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग, धार द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञपत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां धारा- 4(ख) (XIII)

निरंक

13. कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग, धार में किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसके उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों धारा- 4(ख) (XIV)

निरंक

14. कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग, धार में सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचक कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित है धारा- 4(ख) (XV)


सूचना का अवलोकन संबंधित शाखा में नियमानुसार लोक सूचना अधिकारी के आदेश उपरांत उपलब्ध दस्तावेजों से कार्यालयीन समय में किया जा सकता है एवं नियमानुसार प्रतिलिपियां प्राप्त की जा सकती हैं।

15. कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग, धार के लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां धारा- 4(ख) (XVI)

1. श्री टी.एस.चौहान (लोक सूचना अधिकारी)
2. श्री एस.के. बर्मन (सहायक लोक सूचना अधिकारी)

16. कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग, धार की ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाय धारा- 4(ख) (XVII)

निरंक


लोक सूचना अधिकारी
सहायक संचालक मत्स्योद्योग
जिला- धार (म.प्र.)